रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06012023-241717
CG-DL-E-06012023-241717

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 68] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 6, 2023/पौष 16, 1944
No. 68] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 6, 2023/PAUSHA 16, 1944

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2023

का.आ. 71(अ).— विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) को व्यष्टियों और संगमों के कतिपय विधिविरूद्ध क्रियाकलापों के और प्रभावी निवारण करने के लिए तथा आतंकवादी क्रियाकलापों और उससे संबंधित मामलों से निटपने के लिए अधिनियमित किया गया है ;

और, उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) का खंड (क) और उपधारा (2), केंद्रीय सरकार को उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में किसी व्यष्टि के नाम को जोड़ने के लिए सशक्त करता है, यदि उसका यह विश्वास है कि वह आतंकवाद में सम्मिलित है ;

और, अरबाज अहमद मीर पुत्र मन्जूर अहमद मीर, जो गांव गुफ्बल, कैमोह, जिला कुलगाम, जम्मू-कश्मीर से संबंधित है, जो वर्तमान में पाकिस्तान में रहकर सीमापार से लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के लिए कार्य कर रहा है ;

और, लश्कर-ए-तैयबा उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची के क्रम सं. 5 पर आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध है ;

और, उक्त अरबाज अहमद मीर लक्षित हत्याओं में शामिल रहा है और जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में एक महिला शिक्षक रजनी बाला की हत्या में मुख्य षड़यंत्रकारी रहा है ;

और, उक्त अरबाज अहमद मीर कश्मीर घाटी में आतंकवादी कृत्यों के समन्वय में शामिल है तथा सीमापार से गैर कानूनी रूप से हथियारों या गोला-बारूद या विस्फोटकों की पूर्ति कर आतंकियों की सहायता करता है ;

और, केंद्रीय सरकार का यह विश्वास है कि अरबाज अहमद मीर आतंकवादी कृत्यों में शामिल है और उक्त अरबाज अहमद मीर को उक्त अधिनियम के अधीन आतंकवादी के रूप में जोड़ा जाना है ;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में क्रम सं. 50 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतः स्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

"51. अरबाज अहमद मीर "।

[फा. सं. 11034/09/2022-सीटी-I]

प्रवीण वशिष्ट, अपर सचिव

टिप्पण :-- विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की चौथी अनुसूची का अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्यांक का.आ. 39 (अ), तारीख 5 जनवरी, 2023 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th January, 2023

S.O. 71(E).— Whereas, the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) (hereinafter referred to as the said Act) has been enacted to provide for more effective prevention of certain unlawful activities of individuals, and associations and for dealing with terrorist activities, and for matters connected therewith;

And whereas, clause (a) of sub-section (1) and sub-section (2) of section 35 of the said Act empowers the Central Government to add the name of an individual in the Fourth Schedule to the said Act, if it believes that he is involved in terrorism;

And whereas, Arbaz Ahmad Mir son of Manzoor Ahmad Mir belonging to Village-Gufbal, Qaimoh, District-Kulgam, Jammu and Kashmir, presently based in Pakistan, is working for Lashkar-E-Taiba (LeT) from across the border;

And whereas, Lashkar-E-Taiba is listed as a terrorist organisation at serial No. 5 of the First Schedule to the said Act;

And whereas, the said Arbaz Ahmad Mir is involved in target killing and has emerged as main conspirator in killing of one female teacher namely Rajni Bala in Kulgam, Jammu and Kashmir;

And whereas, the said Arbaz Ahmad Mir is involved in coordinating terrorism in Kashmir valley and supporting terrorists by transporting illegal arms or ammunition or explosives from across the border;

And whereas, the Central Government believes that Arbaz Ahmad Mir is involved in terrorism and the said Arbaz Ahmad Mir is to be added as a terrorist under the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the Central Government hereby makes the following amendment in the Fourth Schedule to the said Act, namely:-

In the Fourth Schedule to the said Act, after serial number 50 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

"51. Arbaz Ahmad Mir ".

[F. No. 11034/09/2022/CT-I]

PRAVEEN VASHISTA, Addl. Secy.

Note:- The Fourth Schedule to the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 was last amended *vide* the notification number S.O. 39 (E), dated the 5th January, 2023.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2023.01.06 22:26:14 +05'30'